

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्या-3/2022/54/80-1-2022-151/2021
दिनांक 29. जून, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा 40 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है:-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (पच्चीसवाँ संशोधन)नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (पच्चीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी। (2) यह दिनांक 11 मई, 2020 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।
नियम 66-क का बढ़ाया जाना	2- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में नियम-66 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-
	<p>“प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) 66 क- प्रधान मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में बिक्री के लिए लाये गये गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों अर्थात्-अन्न, द्वि-दलीय उत्पाद, तिलहन, रेशे, स्वासक, मसाले, उद्योग कर्मा, फल एवं शाक द्राक्षा-कृषि उत्पाद आदि पर अधिनियम की धारा-17 (तीन) (ग) के उपबन्धों के अनुसार प्रधान मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं और प्रदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप मण्डी समिति प्रयोक्ता प्रभार(यूजर चार्ज) उद्ग्रहीत करेगी और संग्रहीत करेगी।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि, घोषित मण्डी उप स्थल में गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 7-क (3) में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु किये गये उपबन्धों के समान ही, प्रयोक्ता प्रभार उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जायेगा।</p> <p>अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि, किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद बेचने वाला व्यापारी समिति को प्रयोक्ता प्रभार(यूजर चार्ज) का देनदार होगा और दिनांक 11 मई, 2020 से सदैव देनदार हुआ समझा जायेगा और इस आधार पर कि यह पूर्व में क्रेता से वसूल नहीं किया गया है, ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं होगा।”</p>

अज्ञात से,
(डा० देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 3/2022/ 54(1) /80-1-2022-151/2021 तददिनांक ।

उपर्युक्त की पत्तिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- (1) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशनाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित दिनांक १०/०५/२०२२ असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-४ के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ कृपया अधिसूचना की ५० प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।
- (2) निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
- (3) नाई फाइल।

आज्ञा से
कृपिन्द्र कुमार
विशेष सचिव
५